

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद

आदेश संख्या 69/2017

इस कार्यालय के आदेश संख्या 35/2017, दिनांक 10.02.2017 के क्रम में आदेश दिया जाता है कि न्यायालय के प्रातःकालीन सत्र (दिनांक 03.04.2017 से 24.06.2017) के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस में विडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से बंदियों का उपस्थापन अपराह्न 12.00 बजे से किया जायेगा। अन्य आदेश पूर्ववत् रहेंगे।

आदेश की प्रति सनी संबंधित न्यायालयों तथा काराधीक्षक, मंडल कारा, काको, जहानाबाद को भेजी जाए।

512-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जहानाबाद।
01/04/17

झापांक 1565-75/2017, जहानाबाद, दिनांक 01 वीं अप्रिल, 2017

प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद/सभी अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद/सभी न्यायिक दण्डाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि काराधीक्षक, मंडल कारा, काको, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी न्यायाधीश
व्यवहार न्यायालय, जहानाबाद।
01/04/2017

